भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 200

22.07.2024 को उत्तर के लिए

केरल में मानव-पशु संघर्ष

200. श्री के. सुधाकरनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में मानव-पशु संघर्ष में हाल ही में आई वृद्धि पर ध्यान दिया है जैसाकि राज्य वन विभाग की 1004 संघर्ष क्षेत्रों की पहचान करने वाली रिपोर्ट में उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्य में, विशेषकर कन्नूर जिले में कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य में प्रत्येक परिवार को वर्ष- वार कितनी-कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;

(घ) इन संघर्षों को सतत् रूप से कम करने के उद्देश्य से व्यापक उपायों को प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली और मानव और वन्य जीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई निवेश किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राज्य मंत्री)
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) मुख्य वन्यजीव वार्डन, केरल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, केरल की राज्य सरकार ने 281 पंचायतों को गंभीर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया है।

केरल सरकार ने 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' को सरकारी आदेश जीओ(एमएस), सं. 4/2024/डीएमडी, दिनांक 07/03/2024 के द्वारा "राज्य-विशिष्ट आपदा" के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा, राज्य में मानव-वन्य पशु संघर्ष के प्रभावी उपशमन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(ख) केरल और कन्नूर में पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यथासूचित मानव-वन्यपशु संघर्ष के मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	केरल में मानव-वन्य पशु संघर्ष के मामलों की संख्या	कन्नूर में मानव-वन्य पशु संघर्ष के मामलों की संख्या
2023-24	5500	337
2024-25	2630	245

(ग) केंद्र सरकार मानव-वन्य पशु संघर्ष के पीड़ितों को केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावास विकास' एवं 'बाघ और हाथी परियोजनाओं' के तहत राहत अनुदान सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहता प्रदान करती है। मृत्यु अथवा पूर्ण-अक्षमता के पीड़ितों को दी जाने वाली अनुदान राशि दिसंबर 2023 में 5.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये कर दी गई है।

केरल की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि वन्य पशुओं के हमले से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि 'केरल के वन्य पशु हमले के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान संबंधी नियम, 1980' के अनुसार दी जाती है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन्य-पशु के हमलों से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	आवेदकों की संख्या	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि (लाख रु. में)
2022-23	99	337.31
2023-24	184	709.69
2024-25	2640	313.69

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संधारणीय कार्यप्रथाओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष के उपशमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार है:

i. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव-संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है।

ii. मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव-संघर्ष को नियंत्रित करने के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव-संघर्ष की घटनाओं, जिनमें हाथी, गौर, तेंदुआ, सर्प, मगरमच्छ, रिसस मकॉक, जंगली सूअर, भालू, ब्लू बुल और काला हिरण के साथ संघर्ष की घटनाएं शामिल हैं, के उपशमन के लिए दिनांक 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा भारत में मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव-संघर्ष उपशमन के संदर्भ में व्यवसायगत स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव-संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ का प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन जोखिमों जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iv. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** में संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन-योजनाओं को वैधानिक स्थिति प्रदान करने, संबन्धित ग्राम सभा के साथ परामर्श अधिदेशित करने के लिए संशोधन किया गया है।

v. केन्द्र सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों-'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन समर्थित कार्यकलापों में, फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, जैविक-बाड़, बाउंडरी वॉल आदि जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण/सृजन शामिल है।

vi. रेडियो कॉलरिंग, ई-सर्वेलंस जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन करने में किया जाता है।

vii. राज्य वन विभाग भी मानव-पशु संघर्ष के संबंध में जन-साधारण को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियानों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा, वन-विभाग हथियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए और लोगों को समय से सावधान करने के लिए पशु-ट्रैकर के रूप में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहें हैं।

******